न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू , जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

मु.सं. 188/2015 निर्णय दिनांक :– 07.10.2019

उनवान

1. धापू देवी पत्नि रामगोपाल मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम गोपीरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज. हॉल निवासी तीन मूर्ति सर्किल मीणा कॉलोनी उनियारा गार्डन जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर राज0।

––वादिया

बनाम

1. सूरज पुत्र रामगोपाल मीणा
2. गुलाब पुत्री रामगोपाल मीणा

समस्त निवासी ग्राम गोपीरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राज. हॉल निवासी तीन मूर्ति सर्किल मीणा कॉलोनी उनियारा गार्डन जे0एल0एन0 मार्ग जयपुर राजस्थान।

3. श्रीमति सोनू पुत्री रमसी पत्नि ओमप्रकाश मीणा।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

4. मुस्कान पुत्री ओमप्रकाश मीणा जरिये संरक्षक माता श्रीमति सोनू पुत्री रमसी पत्नि ओमप्रकाश मीणा समस्त निवासी नई कोठी कनकपुरा रेलवे स्टेशन के पास मीणावाला जयपुर राजस्थान।

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर

6. उपपंजियक शाखा चाकसू तहसील चाकसू जिला जयपुर

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी इन्द्राज दुरुस्ती तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

वादिया कि ओर से वादपत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया कि वादिया व प्रतिवदी संख्या 01 ता 02 की पैतृक एंव संयुक्त कब्जे काश्त एंव खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 5 में खसरा नं० 92/553 रकबा 0.38 है0, खसरा नं0 125 रकबा 0.06 है0, खसरा नं० 128 रकबा 0.36 है0, खंसरा नं० 130 रकबा 1.47 है0, खसरा नं0 131 रकबा 0.01 है0, खसरा नं० 365 रकबा 0.38 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.66 है0 भूमि वाके ग्राम गोपीरामपुरा पटवार हल्का बरखेडा तहसील चाकसू जिला जयपुर में स्थित है। जो वाद पत्र में वादग्रस्त आराजी "से संबोधित की गई है। प्रतिवादी संख्या 04 ता 02 के पिता व वादिया के पति

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रामगोपाल उर्फ गोपाल द्वारा छोडी गई पैतृक आराजी भूमि का गोपाल के फौत होने पर उसके विधिक वारिसान जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार से है।

रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र बल्ला

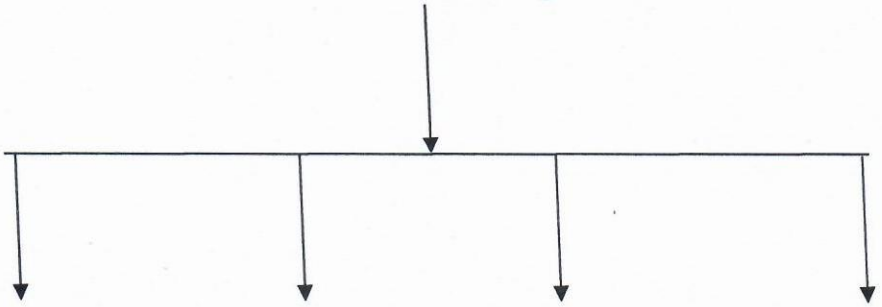

धापू देवी पत्नि ओमप्रकाश पुत्र सुरज पुत्र गुलाब देवी पुत्री

के नाम नामान्तकरण संख्या 57/02.01.2008 के द्वारा गोपाल पुत्र – बल्ला के स्थान पर ओमप्रकाश, सुरज पिता रामगोपाल, धापू देवी पत्नि रामगोपाल जाति मीणा निवासी उनियारा गार्डन मीणा कॉलोनी मोतीडूंगरी रोड जयपुर के नाम संयुक्त रूप से स्वीकार हुआ। रामगोपाल उर्फ गोपाल द्वारा छोडी गई पैतृक कूर्षि आराजी भूमि वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित अनुसार है। वाद पत्र के मद संख्या 01 में वर्णित आराजी भूमि का आज तक विधिवत तकासमा नही होने के कारण रामगोपाल उर्फ गोपाल के विधिक वारिसान के नाम बिना किसी हिस्से बंटे के संयुक्त रूप से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किया गया। रामगोपाल उर्फ गोपाल के विधिक वारिसान मे से ओमप्रकाश का देहान्त दिंनाक 16.01.2014 को निवसीयत एंव नाऔलाद हो गया व ओमप्रकाश की विवाहित पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सुशीला देवी का भी देहान्त दिंनाक 12.07.2000 में हो गया था जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र वाद पत्र के साथ संलग्न है। ओमप्रकाश के निवसीयत एंव नाऔलाद फौत होने के कारण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि मे अविधिक रूप से पटवार हल्का मीणावाला से साज कर प्रतिवादी संख्या 03 ने अपने आप को स्व0 ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि बताते हुएं अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पटवार हल्का मीणावाला के समक्ष गलत तथ्य पेश किये उक्त गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 ने तहसीलदार चाकसू से अविधिक रूप से व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरित जाकर बिना किसी प्रकार से विधिक वारिसान की जॉच करवाये अपने पक्ष मे आदेश पारित करवा लिये व तहसीलदार चाकसू के उक्त आदेश की पालना में में भी नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 ने अपने पक्ष मे नामान्तकरण तस्दीक करवाकर अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी विधिक अधिकार के 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया। जबकि रामगोपाल उर्फ गोपाल के विधिक वारिसान के बीच किसी प्रकार का विभाजन नही होने के कारण राजस्व रिकोर्ड में कोई हिस्सा बटा दर्ज नही था। बिना विधिक प्रकिया अपनाये ही तहसीलदार चाकसू ने स्व. ओमप्रकाश के विधिक वारिसान की सही जॉच करवाये बिना पटवार हल्का मीणावाला की रिपोर्ट के आधार पर ही प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के पक्ष मे नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश पारित कर दिये जबकि तहसीलदार चाकसू को वादग्रस्त आराजी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भूमि की जॉच व वादिया को सूचना देकर एंव प्रतिवादीगण के पैतृक गांव गोपीरामपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर के पटवार हल्का बरखेडा से स्व. ओमप्रकाश के विधिक वारिसान की जॉच रिपोर्ट मंगवाई जाकर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नामान्तकरण तस्दीक करने का आदेश पारित करना चाहिये था। प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के द्वारा ग्राम पंचायत बरखेडा से या जिला न्यायाधीश महोदय से वारिस प्रमाण पत्र अपने पक्ष में जारी करवाकर लाने के पश्चात ही इनके पक्ष में तहसीलदार चाकसू द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने के आदेश पारित करने चाहिये थे। प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत रूप से नामान्तकरण तस्दीक कर इन्द्राज किये जाने के कारण इनका नाम राजस्व रिकोर्ड में से हजफ किया जाकर स्व0 ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई आराजी भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 02 के स्व0 ओमप्रकाश के विधिक वारिस होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज किया जावे। वादग्रस्त आराजी का खाता अभी संयुक्त खाता है पक्षकारों का अलग अलग हिस्सा व श्लगान कायम नही हुआ है। तथा पक्षकारो ने अपनी अपनी मर्जी से अपने अपने हिस्से कर रखे है। जिसमें वादिया का हिस्सा पृथक से एक तरफ है जिसे वादिया ने अपनी पुरी लगन एंव मेहनत से उपजाउ बनाया है। यह कि वादिया ने प्रतिवादीगण को हाथ जोडकर निवेदन किया कि देखो मैं काश्त कर अपने परिवार का जिविकापार्जन करती हूँ आप आये दिन मुझे

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

परेशान करते हो तथा आपसी झगडे पर उतारू हो जाते हो तथा मेरे कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन निर्माण कार्य करने पर उतारू हो रहे हो। यदि तुम्हे किसी प्रकार का संकोच है तो स्व. ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई वादग्रस्त आरजी मे से उसके हिस्से को जिसकी मै विधिक वारिसान होने के कारण अपने नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करवाने की विधिक अधिकारी हूँ। स्व0 ओमप्रकाश द्वारा. छोडी गई भूमि मे मेरे हिस्से व मेरे नाम राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज हिस्सा जिस पर मैं काबिज काश्त होकर खेती बाडी करती आ रही हूँ का काबिज काश्त अनुसार ही तकासमा करवालों लेकिन वे इस चीज से सहमत नहीं हुये और बिना तकासमे ही भूमि का विकय करने हेतु भूमाफियाओं को उक्त आराजी पर लाते है जो अवैध रूप से वादिया के हिस्से पर जबरन कब्जा कर एंव बिना तकासमा करवाये ही कॉलोनियाँ काट देंगें। इसलिए वादिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादिया अपने हिस्से की जमीन का एंव ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई वादग्रस्त आराजी भूमि मे से उसके विधिक वारिसान के रूप मे अपने नाम नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज करवाकर अपने हिरंसे व काबिज काश्त अनुसार तकासमा करवाकर अलग से अपना खाता कायम करवायें तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवायें । दिनाक 22.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पर कुछ अजनबी भूमाफियाओं को लायें तथा उक्त जमीन को दिखाने लग गये। जब वादिया द्वारा उक्त जमीन के बारे में पूछा गया तो प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

03 ता 04. ने ऐलानिया रूप से कहा कि हमने स्व. ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई कृषि आराजी भूमि का अविधिक रूप से अपने पक्ष में नामान्तकरण खुलवाकर अपने नाम राजस्व रिकोर्ड मे ईन्द्राज करवा लिया है व राजस्व रिकोर्ड मे अविधिक रुप से हमारे नाम दर्ज भूमि की जमीन को विकय कर देंगें तथा क्रेता–तुम से आके मनमर्जी अनुसार कब्जा ले लेगे। प्रतिवादीगण को वादियां अकेली रोक पाने मे असमर्थ है। इसलिये वादिया के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वादिया न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द करवा दे कि प्रतिवादीगण वादिया के स्वामित्व व राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज कूर्षि आराजी भूमि व वादिया के पुत्र स्व0 ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई आराजी के उपयोग उपभोग की जमीन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें, प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्ध किया जावे कि जब तब राजस्व रिकोर्ड मे वादिया के नाम स्व. ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई आराजी–भूमि वादिया के हिस्से अनुसार दर्ज नही हो जाती है एंव प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 का राजस्व रिकोर्ड में से स्व) ओमप्रकाश के द्वारा छोडी गई भूमि में वारिस के आधार पर गलत रुप से दर्ज नाम हजफ नही किया जाता है या प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के नाम अविधिक रूप से खोले गये नामान्तकरण की जॉच की जाकर पुनः स्व. ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही किया जाता है। तब तक प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 उक्त वादग्रस्त आराजी .भूमि को किसी प्रकार से हस्तानान्तरित, बैचान,

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

रहन, बय, बख्शीश,मुख्त्यारामा आम आदि नहीं करें। किसी प्रकार का कब्जा पक्का निर्माण आदि नहीं करे, ना ही वादिया के कब्जे काश्त मे कोई दखल अंदाजी करें, ऐसा ना तो प्रतिवादीगण स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करावें व प्रतिवादी संख्या 06 किसी भी दस्तावेज का पंजियन नहीं करे वाद कारण दिनांक 22.06.2015 को प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि पर दीगर व्यक्ति को बेचान हेतु दिखाने के लिए लाने एंव वादिया के कब्जे काश्त में दखल अंदाजी करने एंव प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 द्वारा वादपत्र की मद संख्या 08 मे वर्णित अनुसार धमकी देने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 05 भूमिधारी होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 06 दस्तावेजों का पंजियन करने की पंजियन शाखा होने के कारण पक्षकार बनाया गया है । वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है । दावा उचित न्याय शुल्क पर पेश है । माननीय न्यायालय को दावा सुनने व तय करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। वाद बहक वादिया विरुद्द प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर निम्न अनुतोष वादिया को देने के आदेश पारित करे। वाद बहक वादिया विरुद्द प्रतिवादीगण इस आशय की खातेदारी घोषणा कि डिकी पारित की जावे कि वादिया के पुत्र ओमप्रकाश व उसकी विवाहिता पत्नि सुशीला के निविसीयत एंव नाऔलाद फौत होने के कारण उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि मे अविधिक रूप से पटवार हल्का मीणावाला से साज कर प्रतिवादी संख्या 03 के द्वारा अपने आप को स्व0 ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि बताते हुए व प्रतिवादी संख्या 4

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

को स्व0 ओमप्रकाश की पुत्री बताकर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर पटवार हल्का मीणावाला के समक्ष गलत तथ्य पेश कर उक्त गलत तथ्यों के. आधार पर प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 ने तहंसीलदार चाकसू से अविधिक रूप से व बिना किसी प्रकार से विधिक वारिसानः की जॉच करवाये अपने पक्ष मे आदेश पारित करवा लिये व तहसीलदार चाकसू के उक्त आदेश की पालना में भी नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 ने अपने पक्ष मे नामान्त4करण तस्दीक करवाकर अपने नाम राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी विधिक अधिकार के 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया को हजफ किया जाकर व प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 4 के पक्ष मे खोले गये नामान्ताकरण को निरस्त फरमाया जाकर वादिया स्व0 ओमप्रकाश की विधिक वारिस होने के स्व0 ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई वादग्रस्त आराजी भूमि का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। वाद बहक वादिया विरुद्द प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से भी पाबन्ध किया जावे कि जब तब राजस्व रिकोर्ड मे वादिया के नाम स्व. ओमप्रकाश द्वारा छोडी गई आराजी भूमि वादिया के हिस्से अनुसार दर्ज नही हो जाती है एंव प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 का राजस्व रिकोर्ड मे से स्व0 ओमप्रकाश के द्वारा छोडी गई भूमि मे वारिस के आधार पर गलत रुप से दर्ज नाम हजफ नही किया जाता है या प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 के नाम अविधिक रूप से खोले गये नामान्तकरण की जॉच की जाकर पुनः

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

स्व. ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकोर्ड में दर्ज नही किया जाता है। तब तक प्रतिवादी संख्या 03 ता 04 उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि को किसी प्रकार से हस्तानान्तरित, बैचान, रहन, बय, बख्शीश,मुख्त्यारगामा आम आदि नहीं करें। किसी प्रकार का जबरन कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण आदि नही करे, ना ही वादिया के कब्जे काश्त मे कोई दखल अंदाजी करें, ऐसां ना , वो प्रतिवादीगण स्वंय करें ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करावे व प्रतिवादी संख्या 06 किसी भी दस्तावेज का पंजियन नही करे। प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने पक्ष मे अविधिक रुप से पंटवार हल्का मीणावाला से गलत रिपोर्ट स्व0 ओमप्रकाश के विधिक वारिसान के रुप मे करवा कर तहसीलदार चाकसू से अपने पक्ष में खुलवाया गया नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 29.05.2015 के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे गलत रुप से 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाया द्य उक्त गलत रुप से किये गये इन्द्राज को हजफ किया जाकर पूर्व राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज अनुसार जब तक विधिवत तकासमा पक्षकारों मे नहीं हो जाता को संयक्त रुप से इन्द्राज किया जावे व पक्षकारों में विधिवत विभाजन होने के पश्चात उनके हिस्से अनुसार अलग से खाता खोला जाये और उसी अनुसार पक्षकारों से लगान लिया जावे। यह कि अन्य अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादिया के पक्ष में उचित समझे अतः फरमावे।

दावा वकील वादीगण द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गयी

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए0डी0 तामील के हाजीर नही आये। प्रतिवादी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र 6 नियम 17 का पेश किया गया जो दिनांक 04.09.2019 को स्वीकार होने पर संशोधित वाद पेश किया गया, संशोधित वाद पेश होने पर साक्ष्य वादी ली गयी तो साक्ष्य वादी धापू रामसहाय, मन्नालाल के साक्ष्य शपथ पत्र किये गये, साक्ष्य शपथ पत्र पेश होने पर व आगे गवाह वादी द्वारा नही करवाने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी। वकील वादी ने दावे का समर्थन करते हुये वादग्रस्त प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व वादिया के पति रामगोपाल उर्फ गोपाल द्वारा छोडी गयी पैत्रिक आराजी है। जो गोपाल के फौत होने पर उसके विधिक वारीसान सजरा खानदान के अनुसार है। नामान्तकरण संख्या 57 के द्वारा गोपाल पुत्र बल्ला के स्थान पर ओमप्रकाश, सूरज पिता रामगोपाल, धापू पत्नि रामगोपाल जाति मीणा निवासी उनियारा गार्डन, जयपुर के नाम संयुक्त रूप से स्वीकार हुआ। उक्त भूमि के अभी तक तकासमा नही हुआ है। रामगोपाल उर्फ गोपाल के विधिक वारिसान में से ओमप्रकाश का देहान्त दिनांक 16.01.2014 को बिना वारिसान व ना ओलाद के फोत हो गया। ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि सुशीला देवी का भी देहान्त 12.07.2000 को हो गया। ओमप्रकाश ना औलाद फौत होने पर प्रतिवादी संख्या 3 ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि बनाते हुये गलत तथ्यों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 तहसीलदार चाकसू से अविधिक रूप से व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जकर बिना वारिसान की जांच करवाये अपने

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

पक्ष में आदेश पारित करवा लिया, जो नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 3 से 4 ने 1/3 हिस्सा दर्ज करवा लिया जो गलत दर्ज करवाया गया है जो निरस्त कर वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ओमप्रकाश के विधिक वारिसान होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में जमाबंदी ग्राम गोपीरामपुरा संवत 2064–67 के खाता संख्या 12, संवत 2068–71 खाता संख्या 5, मृत्यू प्रमाण पत्र ओमप्रकाश मृत्यू प्रमाण पत्र सुशीला देवी पत्नि ओमप्रकाश, नामानतकरण संख्या 138 नकल ऑर्डर शीट व अपील की प्रमाणित प्रति बतौर दस्तावेज पेश किये गये। वकील वादी की बहस पर मनन किया एवं दावा गवाहों के शपथ तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की पैतृक एवं संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है, जो वादिया के पति व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता रामगोपाल द्वारा छोडी गयी भूमि है, गोपाल के फोत होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम नामान्तकरण संख्या 57 दिनांक 02.01.2008 के द्वारा गोपाल पुत्र बल्ला के स्थान पर ओमप्रकाश, सुरज पिता रामगोपाल धापू देवी पत्नि रामगोपाल मीणा निवासी उनियारा गार्डन, मीणा कॉलोनी, मोती डूंगरी रोड जयपुर के नाम स्वीकार हुआ। जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। रामगोपाल उर्फ गोपाल के विधिक वारिसान में से ओमप्रकाश का स्वर्गवास दिनांक 16.01.2014 को ना ओलाद फौत हो गया व ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

सुशीला देवी का भी देहान्त दिनांक 12.07.2000 को हो गया। ओमप्रकाश ना औलाद फौत होने पर भी फर्जी तरीके से प्रतिवादी संख्या 3 सोनू पुत्र रमसी द्वारा ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि बताते है गलत तथ्यों के आधार पर तहसीलदार चाकसू द्वारा बिना जांच किये नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.05.2015 को प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में खोल दिया गया जबकि ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि सुशीला देवी का स्वर्गवास मृत्यु प्रमाण के आधार पर पूव में ही ईएक्स पी 4 मृत्यू प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 12.07. 2000 को हो गया। जब ओमप्रकाश ना औलाद दिनांक 16.01.2014 को फौत हो गया व ओमप्रकाश की पत्नि सुशीला 12.07.2000 को फोत हो गयी तो सुशीला ओमप्रकाश की विवाहिता पत्नि कैसे हुयी इस बाबत प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा ओमप्रकाश की पत्नि होने बाबत कोई दस्तावेज व साक्ष्य सबूत भी हाजीर अदालत होकर पेश नही किये गये तहसीलदार चाकसू द्वारा बिना जांच तहसीलदार जयपुर के द्वारा पटवारी द्वारा भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर नामान्तकरण संख्या 138 खोला गया जबकि तहसीलदार चाकसू द्वारा अपने स्तर पर जांच करनी चाहिये थी कि ओमप्रकाश ना औलाद फौत हुआ था ओमप्रकाश के विधिक कोई वारिस थे इस बाबत प्रतिवादी संख्या 3 व 4 से पंचायत द्वारा या मान्य जिला न्यायाधीश महोदय से वारिस पमाण पत्र प्राप्त होने पर ही विरासत का नामान्तकरण खोला जाना चाहिये था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से नामान्तकरण

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

तस्दीक कर इन्द्राज किये गये को राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर ओमप्रकाश द्वारा छोडी गयी आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विधिक वारिस होने से खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना उचित समझते है। अतः दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के डिक्री किया जाकर वादिया के पुत्र ओमप्रकाश व उसकी विवाहिता पत्नि सुशीला के ना औलाद फोत होने के कारण वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 92/553, 125, 128, 130, 131, 365 किता 6 रकबा 2.66 है0 वाके ग्राम गोपीरामपुरा में जो प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने नाम नामान्तकरण संख्या 138 दिनांक 20.05.2015 को 1/3 हिस्से दर्ज करवा लिया उसको हजफ किया जाकर व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के हक में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर वादिया स्व0 ओमप्रकाश की विधिक वारिस के कारण स्व0 ओमप्रकाश द्वारा छोडी गयी वादग्रस्त आराजी का वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इस प्रकार स्व0 ओमप्रकाश द्वारा छोडी गयी भूमि 1/3 हिस्से का वादिया को खतोदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है व प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादिया के कब्जे काश्त में न तो स्वयं मजाहमत करे न अन्य से करावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पत्रावली बादी तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2019.11.06 13:40:52 IST
Reason: SelfAttested
Location: